



2026:AHC:48738

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-बी संख्या-5416/2025

श्रीमती रीना राय

..याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: प्रदीप कुमार राय, प्रजयोत राय

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक,

1. प्रारम्भ में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के प्रार्थना खण्ड में उल्लिखित मामले की संख्या को सही करने का अनुरोध किया है और उन्हें इसकी अनुमति दी जाती है।
2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
3. इस रिट याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुतोष की मांग की गई है:-
“(क) प्रतिवादी संख्या 2 को यूपीसीएच अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत मामला संख्या 2284/2024 कम्प्यूटरीकृत (शीतला और अन्य बनाम हरिवंश और अन्य) का निर्णय इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर निर्देश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।”
4. यदि उपरोक्त मामले का शीघ्र निर्णय करने का निर्देश जारी किया जाता है, तो विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।
5. उपरोक्त सिंहावलोकन में, इस मामले को लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए न्यायालय मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, याचिका में उल्लिखित चक्बंदी अधिकारी वाराणसी(प्रतिवादी संख्या 2) को निर्देश देते हुए, इस रिट याचिका का अंतिम निस्तारण करना उचित समझता है कि वे संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना विधि के अनुसार तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश द्वारा उपरोक्त मामले का निर्णय शीघ्रता से अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर करें।
6. उपरोक्त निर्देश के साथ इस याचिका का अंतिम निस्तारण किया जाता है।

(दिनेश पाठक , न्यायमूर्ति)

10 मार्च, 2026

नीतू

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”